राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	माधो सिंह बनाम राजू देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 25/03/2026 को पेश हो |	
25/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली कैम्प कोर्ट भट्टो की गली में नियत कर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 08/06/2018 पारित करते हुये तहसीलदार आमेर को विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 599 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 600 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 604 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 814 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 822 रकबा 0.10 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.05 हैक्टेयर वाके ग्राम भट्टो की गली तहसील आमेर में मीट्स एंड बाउन्ड्स के आधार पर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 08/06/2018 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विभाजन के वाद में जवाब दावा/काउन्टर क्लेम पेश करने का आधार केवल मात्र बही की लिखावट रही है एवं क़ानूनी प्रावधानों के अनुसार यह विधिक स्थिति है कि राजस्व न्यायालय को बही की लिखावट के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करने का कोई विधिक अधिकार/क्षेत्राधिकार ही नही है | ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के कथनों को स्वीकार कर प्रकरण को काउन्टर क्लेम के सन्दर्भ में पुन: निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत नही समझा जाता है | ऐसेमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 08/06/2018 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है | पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो | निर्णय आज दिनांक 25/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |	

663/2018

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर